

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशित किया जाना है

फा. सं. 6/52/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

सेतु मामला आईडी - एडी/ओआई/052/2026

आरंभ अधिसूचना

विषय: चीन जनवादी गणराज्य, रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए कैप्रोलैक्टम के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच का आरंभ।

फा. सं. 6/52/2026-डीजीटीआर: सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके बाद "नियम" अथवा "पाटनरोधी नियम" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने "कैप्रोलैक्टम" (जिसे इसमें इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच आरंभ करने के लिए नामित प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

1. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात घरेलू उद्योग को सारभूत क्षति पहुँचा रहे हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "कैप्रोलैक्टम" है, जिसे 6-हेक्सेनलैक्टम भी कहा जाता है और जिसकी सीएस पंजीकरण संख्या 105-60-2 है।
3. कैप्रोलैक्टम एक मोनोमर है और नायलॉन-6 चिप्स के उत्पादन के लिए आधार सामग्री है, जिन्हें आगे संसाधित करके यार्न और फिर कपड़ा बनाया जाता है। कैप्रोलैक्टम का

उत्पादन और बिक्री तरल तथा ठोस, दोनों रूपों में की जाती है। तरल रूप का उपयोग केवल वही उपभोक्ता कर सकते हैं जो सामग्री के स्रोत के बहुत निकट स्थित हों, और भारत में उपभोक्ता मुख्यतः ठोस रूप का उपयोग करते हैं, जो सफेद क्रिस्टल अथवा फ्लेक के रूप में होता है। भौतिक रूप में अंतर को छोड़कर, ठोस और तरल रूपों में कोई सारभूत अंतर नहीं है।

4. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्यतः नायलॉन-6 के विनिर्माण में किया जाता है, जिसका उपयोग आगे नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक और नायलॉन फिलामेंट यार्न बनाने में किया जाता है। इस उत्पाद का इंजीनियरिंग रेजिन और फिल्मों में भी थोड़ा उपयोग होता है।
5. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है।
6. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत टैरिफ मद 2933 71 00 के अंतर्गत किया गया है, जो इस उत्पाद के लिए एक समर्पित टैरिफ मद है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बाध्य नहीं करता।
7. वर्तमान जाँच के पक्षकार इस जाँच के आरंभ की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं तथा, यदि कोई हो, तो उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) की कार्यप्रणाली प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यात की गई वस्तु में कोई सारभूत अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएँ और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे की स्थानापन्न हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु का परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग कर रहे हैं। अतः वर्तमान जाँच के आरंभ के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की प्रथम दृष्टया समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

9. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य, रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

घ. जाँच अवधि (पीओआई)

10. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) की अवधि को जाँच अवधि (जिसे इसमें इसके बाद "पीओआई" कहा गया है) के रूप में माना है। क्षति जाँच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधियाँ और जाँच अवधि शामिल होंगी।

ड. घरेलू उद्योग और पात्रता

11. नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित करता है:
- "घरेलू उद्योग" से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबद्ध किसी गतिविधि में लगे हुए समग्र घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं अथवा वे उत्पादक जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, जिस स्थिति में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है"*
12. आवेदन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
13. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक के अतिरिक्त भारत में समान वस्तु का केवल एक अन्य उत्पादक है, अर्थात् द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी)। आवेदक ने अनुरोध किया है कि एफएसीटी ने वर्ष 2012 में अपना परिचालन बंद कर दिया था, 2022-23 और 2023-24 के दौरान उत्पादन पुनः आरंभ किया, और कम कीमत वाले पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण 2024-25 में उत्पादन पुनः बंद कर दिया, और संपूर्ण जाँच अवधि में बंद रहा। एफएसीटी ने जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण नहीं किया।

14. अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि आवेदक ही जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने वाला एकमात्र भारतीय उत्पादक है और जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन में उसका 100% हिस्सा है। प्राधिकारी का मत है कि आवेदक पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर एक पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक 1 के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदक ने दावा किया है कि जब तक ऐसी स्थितियाँ विद्यमान होना नहीं दर्शाया जाता, तब तक चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।
16. आवेदक ने अनुरोध किया है कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा रचित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, को की गई कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक को किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा लागत के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। आवेदक ने आगे अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के अतिरिक्त अन्य देशों से भारत में आयात स्वयं पाटित कीमतों पर हैं और उन्हें सामान्य मूल्य के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में चुकाई गई अथवा देय कीमत के आधार पर किया गया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। जाँच के आरंभ के प्रयोजन के लिए इसे ही माना गया है।

रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके पास रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए आवेदक ने सामान्य मूल्य का निर्धारण संबंधित संबद्ध देशों से भारत के

अतिरिक्त अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत के आधार पर किया है। रूस के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण ट्रेड मैप द्वारा प्रकाशित उस मिरर आयात आँकड़ों के आधार पर किया गया है जो रूस के मूल की वस्तुओं के अन्य देशों में आयात को दर्शाते हैं। थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इन देशों से भारत के अतिरिक्त अन्य देशों को कुल निर्यात के आधार पर किया गया है, जैसा कि एफओबी आधार पर रिपोर्ट किया गया है। कारखाना-द्वार कीमत तक पहुँचने के लिए उपयुक्त समायोजन किए गए हैं।

18. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग)(ii) के अनुसार रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को जाँच के आरंभ के प्रयोजन के लिए माना गया है। आवेदक ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

निर्यात कीमत

19. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आयात आँकड़ों के आधार पर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत तक पहुँचने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह संचालन प्रभार, कमीशन, ऋण लागत और माल-सूची वहन लागत के मद में समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस) से ऊपर और उल्लेखनीय है। इस प्रकार, इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कार्य-कारण संबंध का साक्ष्य

21. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यह देखा गया है कि माँग में गिरावट के बावजूद क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप में तथा भारत में उत्पादन और उपभोग के संबंध में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। संबद्ध आयातों की उतराई कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप जाँच अवधि के दौरान कीमत में कटौती हुई है। जाँच अवधि के दौरान आवेदक का उत्पादन और घरेलू बिक्री घटी है, और क्षति

अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। आवेदक की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल उचित स्तर से काफी नीचे बने हुए हैं और जाँच अवधि के दौरान उनमें गिरावट आई है।

22. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कार्य-कारण संबंध का पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होता है, जो नियमों के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी जाँच आरंभ करने को उचित ठहराता है।

ज. पाटनरोधी जाँच का आरंभ

23. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत पुष्ट लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के पाटन, कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कार्य-कारण संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त कर लेने के बाद, और अधिनियम की धारा 9क के साथ पाटनरोधी नियमों के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी जाँच आरंभ करता है।

झ. प्रक्रिया

24. इस जाँच में पाटनरोधी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. जानकारी का प्रस्तुतीकरण

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षा है कि वे सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर स्वयं को पंजीकृत करें। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियाँ सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और संगत सेतु मामला आईडी सं. एडी/ओआई/052/2026 के अंतर्गत अपलोड की जाएँगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का वर्णनात्मक भाग

खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

26. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से जुड़े हुए ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी सभी जानकारी इस आरंभ अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।
27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, इस आरंभ अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से, वर्तमान जाँच से संबंधित कोई प्रस्तुति कर सकता है।
28. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार से अपेक्षा है कि वह उसका गोपनीयता-रहित संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए।
29. हितबद्ध पक्षकारों को आगे सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित नज़र रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक के कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य जानकारी के संबंध में समय-समय पर जारी की जा सकने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से जाएँ।

ट. समय-सीमा

30. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी जानकारी सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम और संगत मामला आईडी - एडी/ओआई/052/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए।

31. प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) और गोपनीयता-रहित संस्करण (एनसीवी), संबंधित निर्दिष्ट स्तंभों में उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए जिस तिथि को घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल आवेदन का गोपनीयता-रहित संस्करण प्राधिकारी द्वारा सेतु पोर्टल पर परिचालित किया जाएगा अथवा पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त जानकारी अपूर्ण है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपनी रुचि (जिसमें रुचि की प्रकृति भी शामिल है) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।
33. पीयूसी/पीसीएन कार्यप्रणाली के दायरे पर टिप्पणियाँ दाखिल करने की 15 दिन की अवधि इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
34. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी बाद की किसी सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करता है, जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा आरंभ अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तिथि से प्रदान किया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं है जहाँ जाँच के आरंभ के बाद पीयूसी और पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 15 दिनों के विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से आगे के और विस्तार के अनुरोधों पर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, जो पाटनरोधी नियमों के नियम 6(4) के अनुरूप है।
35. विस्तार के किसी भी अनुरोध को संबंधित पक्षकारों द्वारा उपर्युक्त निर्दिष्ट मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर जानकारी का प्रस्तुतीकरण

36. जहाँ वर्तमान जाँच का कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ करता है अथवा गोपनीय आधार पर जानकारी उपलब्ध कराता है, वहाँ ऐसे पक्षकार से अपेक्षा है कि वह नियमों के नियम 7(2) के अनुसार तथा प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी जानकारी का गोपनीयता-रहित संस्करण साथ-साथ प्रस्तुत करे। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं।
37. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (जिसमें उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक शामिल हैं) करने वाले पक्षकारों, जिनमें प्रश्नावली उत्तर भी शामिल हैं, से अपेक्षा है कि वे गोपनीय और गोपनीयता-रहित संस्करण अलग-अलग दाखिल करें।
38. ऐसी प्रस्तुतियों पर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' अथवा 'गोपनीयता-रहित' अंकित होना चाहिए। ऐसे चिह्नांकन के बिना की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा 'गोपनीयता-रहित' जानकारी के रूप में मानी जाएगी, और प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति दे।
39. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी होगी जो अपनी प्रकृति से गोपनीय है, और/अथवा अन्य जानकारी, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस जानकारी को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है, अथवा जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके लिए जानकारी के आपूर्तिकर्ता से अपेक्षा है कि वह आपूर्ति की गई जानकारी के साथ इस बारे में उचित कारण का कथन प्रदान करे कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण क्यों नहीं किया जा सकता।
40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का गोपनीयता-रहित संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को यथासंभव सूचकांकित किया गया हो अथवा (जहाँ सूचकांकन संभव न हो) रिक्त छोड़ा गया हो, और जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके आधार पर ऐसी जानकारी का उपयुक्त और पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए। गोपनीयता-रहित सारांश इतने पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ संभव हो। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश नहीं बनाया जा सकता, और तब प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का ऐसा कथन प्रस्तुत किया

जाना चाहिए जिसमें यह पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण हो कि ऐसा सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।

41. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के गोपनीयता-रहित संस्करण के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।
42. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जाँच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने अथवा उसे सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्रकट करने को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है।
43. गोपनीयता के दावे पर सार्थक गोपनीयता-रहित संस्करण के बिना अथवा नियमों के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित कारण-कथन के बिना की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं ली जाएगी।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

44. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी गोपनीयता-रहित संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

45. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार पहुँच से इनकार करता है और अन्यथा युक्तियुक्त अवधि के भीतर अथवा इस आरंभ अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जाँच में उल्लेखनीय बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जैसी वह उचित समझे।

**Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 29-09-2026
18:46:26**

**(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी**